

(राज. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सिवागा बालोतरा
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खोजडिगावा की जमाबन्दी संवत् 2022-23 के खाता संख्या 48 में मेरा/हमारे नाम चैताराम पुत्र अंबावना

दर्ज है जो अशुद्ध है, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम चैताराम पुत्र अंबावना राम है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।

दिनांक :-

चैताराम
हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

प्राची के संलग्न दस्तावेजों के अनुसार चैताराम पुत्र अंबावना के स्थान पर चैताराम पुत्र अंबावना राम नाम शुद्ध करने की अनुमति की जाती है।

रिपोर्ट
तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

41ms - 2025/577

आदेश

तहसीलदार समदडी

क्रमांक 2025/11/677

दिनांक 16-10-2025

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम खोजडिगावा की जमाबन्दी संवत् 2022-23 के खाता संख्या 48 में

चैताराम पुत्र अंबावना के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

चैताराम पुत्र अंबावना राम की जाती है।

कर्मचारी सेवा प्रदान



उपखण्ड अधिकारी सिवागा
उपखण्ड अधिकारी
सिवागा (बालोतरा)